POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 12.03.2026

1. CRT व थाना सेक्टर-58 नोएडा पुलिस द्वारा फर्जी फर्म बनाकर 01 करोड़ 74 लाख 11 हजार 987 रूपये की जीएसटी चोरी करने वाले गिरोह का 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक मोबाइल फोन, एक टेबलेट व दो फर्जी आधार कार्ड बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **12-03-2026** को **CRT व थाना सेक्टर-58, नोएडा पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से फर्जी फर्म बनाकर 1 करोड़ 74 लाख 11 हजार 987 रूपये की जीएसटी चोरी करने वाले गिरोह का एक वांछित अभियुक्त रोहन गुप्ता पुत्र राकेश गुप्ता को छोटा डी पार्क सेक्टर-62, नोएडा से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त कब्जे से एक मोबाइल फोन, एक टेबलेट व दो फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए है।

विवरण-- दिनांक 29.07.2024 को मैसर्स के0एस0 इंटर प्राईसेज के द्वारा GST PORTAL पर ऑनलाइन जीएसटी नम्बर प्राप्त कर अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर विभिन्न फर्में आलम इंटरप्राईजेज, के0एस0 इंटरप्राईजेज, सीपी ट्रेडर्स व ट्रेडियोग्राफी के नाम से फर्जी फर्म तैयार कर वर्ष 2024-25 में बिना किसी वास्तविक खरीद फरोख्त के 1,74,11,987 रूपये का बोगस आईजीएसटी क्लेम किया गया एवं बोगस इन वर्ड सप्लाई करते हुये अन्य फर्म को आउट वर्ड सप्लाई की गयी। बोगस आईजीएसटी की आईटीसी अपनी आपूर्ति फर्म सीपी ट्रेड को सप्लाई की गयी तथा फर्म मै0 के0एस0 इंटर प्राईसेज के द्वारा बोगस अस्तित्वहीन फर्म ट्रेडियोग्राफी से बिना वास्तविक आपूर्ति प्राप्त किये केवल फर्जी प्रपत्रो का आदान-प्रदान करते हुये इनवाईस सप्लाई घोषित की गयी एवं बोगस इनवर्ड सप्लाई के सापेक्ष बोगस आईटीसी क्लेम किया गया, जिसके सम्बन्ध में वादी (राज्यकर अधिकारी खण्ड-9, नोएडा) द्वारा थाना सेक्टर-58, नोएडा पर दिनांक 25.10.2025 को मु0अ0सं0-387/25 धारा 318(4), 338, 336(3), 340 बीएनएस पंजीकृत कराया गया था, जिसकी गहन विवेचना तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर बोगस फर्म के0एस0 इंटरप्राईजेज द्वारा अन्य क्रमशः फर्म आलम इंटरप्राईजेज से खरीद दिखाकर, फर्म सीपी ट्रेडर्स को बिक्री दिखाकर तथा फर्म सीपी ट्रेडर्स द्वारा फर्म ट्रेडियोग्राफी को बिक्री दिखाकर, फर्म ट्रेडियोग्राफी द्वारा जीएसटी क्लेम कर इंपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) प्राप्त करते थे। गिरफ्तार अभियुक्त रोहन गुप्ता द्वारा अपने साथियो के साथ मिलकर फर्जी फर्मो के फर्जी कागजात तैयार कर बोगस फर्म जीएसटी में रजिस्टर्ड कराते थे तथा फर्जी सप्लाई दिखाकर बोगस आईटीसी क्लेम जीएसटी विभाग से करते थे अभियुक्त के अन्य साथियों की तलाश की जा रही है।

अभियुक्त का विवरण-- रोहन गुप्ता पुत्र राकेश गुप्ता निवासी तुगलकाबाद एक्सटेंशन, थाना गोविन्दपुरी, नई दिल्ली उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरण--

1- एक मोबाइल फोन (आईफोन)
2- एक टेबलेट
3- 02 फर्जी आधार कार्ड
4- बोगस कम्पनी रजिस्टर्ड कराने से सम्बन्धित कागजात

अभियोग का विवरण-- मु0अ0सं0 387/2025 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) बीएनएस थाना सेक्टर-58, नोएडा।

2. थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा कम्पनी से मेटल शीट चोरी करने वाले 02 चोर गिरफ्तार, कब्जे से 100 मेटल शीट व घटना में प्रयुक्त ट्रक बरामद।

घटना व कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक **12.03.2026** को **थाना सूरजपुर पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व बीट पुलिसिंग की सहायता से कम्पनी से मेटल शीट चोरी करने वाले 02 चोर 1.प्रवीन कुमार पुत्र विश्वनाथ सिंह 2.भगत सिंह पुत्र वीरेन सिंह को ITBP कैम्प रोड़ से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 100 मेटल शीट व घटना में प्रयुक्त ट्रक रजि नं0 UP16PT9011 बरामद किया गया है।

अभियुक्तगण द्वारा षंडयत्र करके कम्पनी कम्पोनेट प्रा0लि0 कम्पनी, साईट बी सूरजपुर से मेटल शीट को चोरी कर लिया गया था, जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना सूरजपुर पर मु0अ0सं0- 69/2026 धारा 306 भादवि पंजीकृत कराया गया था।

अभियुक्तों का विवरण–

1. प्रवीन कुमार पुत्र विश्वनाथ सिंह निवासी ग्राम जगत, थाना किशनी, जिला मैनपुरी वर्तमान पता देवला, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 35 वर्ष।
2. भगत सिंह पुत्र वीरेन सिंह निवासी भरोरा कंला, थाना चरखारी, जनपद महोबा वर्तमान पता देवला, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 30 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-- मु0अ0सं0 69/2026 धारा 306/317(2)/61(2) बीएनएस थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1- 100 मेटल शीट (वजन करीब 1 कुंतल)
2- घटना में प्रयुक्त ट्रक रजि संख्या UP16PT9011